भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 305

10 अगस्त, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: सुगमता से कारोबार करना

***305. डॉ. सुकान्त मजूमदार:**

डॉ. जयंत कुमार राय:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को देश में सहकारिता हेतु सुगमता से कारोबार करने से संबंधित प्रक्रियाओं को सुकर बनाने और बहु-राज्य सहकारिताओं का विकास करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय को वाणिज्यिक उद्यम से लेकर सहकारी संस्था तक से सार्वजनिक धन का गबन करने हेतु कुछ बड़े कार्पोरेट घरानों द्वारा आरंभ की गई छदम सहकारी वित्तीय कंपनियों संबंधी समस्या की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसअफआईओ) द्वारा सरकार को ऐसे किसी समूह के निवेश की जानकारी दी गई है जिसे उसी समूह की सहकारी जैसी अन्य योजनाओं अथवा अन्य बहुउद्देशीय सोसाइटियों में बदला जा रहा है; और

(ड.) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में की गई जांच और की गई कार्रवाई की स्थिति क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"सुगमता से कारोबार करना" के बारे में दिनांक 10 अगस्त, 2021 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले ताराकित प्रश्न सं. 305 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): सहकारिता मंत्रालय को कार्य आवंटन भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के अनुसार किया गया है जैसा कि **अनुबंध-I** में दर्शाया गया है।

(ख) एवं (ग): बहु राज्य सहकारी समितियां (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत सहकारी समितियां अपने सदस्यों के प्रति जवाबदेह स्वायत्त सहकारी संगठनों के रूप में कार्य कर रही हैं। किसी भी बहु-राज्य सहकारी समिति के विरुद्ध शिकायतों के मामले में, एमएससीएस अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है, जिसमें समापन और परिसमापन कार्यवाही शुरू करना शामिल है।

(घ) एवं (ङ): गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने एमएससीएस अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत सहकारी समितियों में नियंत्रण रखने वाली कंपनियों और उनके प्रमोटर के संबंध में मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी है। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय की रिपोर्ट पर बहुराज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 और /या कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। एसएफआईओ द्वारा की जा रही जांच अलग-अलग स्तर पर है।

लो.स.ता.प्र.सं.305

<u>अनुबंध –I</u>

1. सभी क्षेत्रों में सहयोग तथा सहभागिता क्रियाकलापों के समन्वय के क्षेत्र में सामान्य नीति

   नोट:- संबंधित मंत्रालय क्षेत्र में सहकारिता के लिए उत्तरदायी हैं।

2. "सहयोग से समृद्धि की ओर" विजन की प्राप्ति

3. देश में सहकारिता आंदोलन को सुदृढ़ करना तथा जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को गहरा करना।

4. देश के विकास के लिए अपने सदस्यों में जिम्मेदारी की भावना सहित सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देना।

5. सहकारी समितियों को उनकी क्षमता का एहसास कराने में मदद करने के लिए उचित नीति, कानूनी और संस्थागत ढांचे (फ्रेमवर्क) का निर्माण।

6. राष्ट्रीय सहकारी संगठन से संबंधित मामले

7. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

8. 'बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 39)' के प्रशासन सहित एक राज्य तक सीमित न होने वाले उद्देश्यों के साथ सहकारी समितियों का निगमन, विनियमन और समापन:

   बशर्ते कि इसके नियंत्रण में कार्यरत सहकारी इकाइयों के लिए बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 39) के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के उद्देश्य से प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग 'केंद्र सरकार' होगा।

9. सहकारी विभागों और सहकारी संस्थाओं के कर्मियों का प्रशिक्षण (सदस्यों, पदाधिकारियों और गैर-अधिकारियों की शिक्षा सहित)।

******